



प्रेस नोट - थाना मदनापुर



जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 29.09.2026

थाना मदनापुर पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही, फायरिंग की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मदनापुर के नेतृत्व में थाना मदनापुर पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.09.2026 को वादी मुकदमा श्री सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र विश्राम गुप्ता, निवासी ग्राम बुधवाना, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना मदनापुर पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण 1. सत्यवीर यादव पुत्र वीरपाल यादव, निवासी ग्राम उमरसडिया, थाना गढ़िया रंगीन, जनपद शाहजहाँपुर एवं 2. गुरुपाल यादव पुत्र श्री सुरेशपाल यादव, निवासी ग्राम जिराऊ, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी के भतीजे अमरदीप गुप्ता को शराब पीने से मना करने पर गाली-गलौज एवं मारपीट की गई तथा बाद में वादी के दरवाजे पर आकर सुरेन्द्र गुप्ता के ऊपर फायर किया गया। बीच-बचाव करने आए सौरभ गुप्ता एवं शिवम गुप्ता को भी चोटें आईं तथा अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त प्रकरण में थाना मदनापुर पर मु0अ0सं0-252/2026, धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री लालबहादुर सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना मदनापुर पुलिस द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 28.09.2026 को रात्रि करीब 22:01 बजे ग्राम जिराऊ की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर लगभग 30 मीटर की दूरी से अभियुक्त गुरुपाल यादव पुत्र श्री सुरेशपाल यादव, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम जिराऊ, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई है। अभियुक्त गुरुपाल यादव के विरुद्ध धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

गुरुपाल यादव पुत्र श्री सुरेशपाल यादव उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम जिराऊ, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त: गुरुपाल यादव पुत्र श्री सुरेशपाल यादव, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम जिराऊ, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।

1. मु0अ0सं0 260/2020, धारा 504/506 भादवि, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 303/2020, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0 390/2024, धारा 115(2)/117(2)/324(4)/351(2)/352 बीएनएस, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
4. मु0अ0सं0 14/2025, धारा 115(2)/126(2)/351(3)/352 बीएनएस, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
5. मु0अ0सं0 252/2026, धारा 109(1)/115(2)/351(3)/352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान का विवरण:-

दिनांक 28.09.2026 समय करीब 22.01 बजे, ग्राम जिराऊ की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर करीब 30 मीटर दूरी

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्यप्रकाश सिंह, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 श्री लालबहादुर सिंह, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 2808 आकाश कुमार, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
5. का0 603 इण्डिया सागर, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
6. का0 517 आयूष पूनिया, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।